तारीख

8. अर्द

न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम कालू पुत्र रामकरण जाति ब्राह्मण नि. प्रेमपुरा तहसील बस्सी

मिसल न. 45/2023

निर्णय दिनांक-18.01.2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ढिगारिया ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अतिक्रमी कालू पुत्र रामकरण जाति ब्राह्मण निवासी प्रेमपुरा तहसील बस्सी ने ग्राम आनंदपुरा के आराजी खसरा नंबर 5 किस्म गै.मु तलाई (सिवायचक) कुल रकबा 0.55 है० मे से रकबा 0.01 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष रबी मे गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बाद तामील स्वयं उपस्थित हुआ । अतिक्रमी ने अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त शुदा रकबे पर गेहूं की काश्त से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.25 रु. का 50 गुना 13 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली,फसल नीलामी एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक लवाण एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल ढिगारिया को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 18.01.2024 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर से कम हो । बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2024.03.05 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

रा० ले० सं० 4 वर्ष 23-24
की पृष्ठ सं. 6 पर 13 क्र
की मांग कायम की।

तहसील राजस्व लेखाकार

(धर्म सिंह मीना)
तहसीलदार
लवाण (जिला दौसा)

तहसीलदार
लवाण जिला दौसा(राज.)